फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

श्रीमती पदमिनी कौर बनाम आयु वगैरह

धारा 111-128 किस्म प्रा० पत्र

प्र०सं० 109/2017

9.5.17

बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 16.5.17 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

16/5/17 को पत्रावली न्याय बाबते दुबारा/कैम्प कोर्ट मे प्रस्तुत हुई। ~~विपक्षीगण 1 से 10 की तरफ से~~ विपक्षी संख्या 5 व 6 विपक्षीगण 11 से 16 हुआ रामेश्वर जाट उपस्थित। विपक्षीगण 11 से 15 को तामिल होकर प्राप्त। अनुपस्थित 11 से 15 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही। पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

रामेश्वर जाट

Rumicathy
Ad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा, कैम्प कोर्ट – मालोला
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 102/2017

1. पदमिनी पत्नी विवेक धाकड, निवासी –आर–19 विजयसिंह पथिकनगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मन्जू पत्नी महेश कुल्हरी, निवासी –आर–19 विजयसिंह पथिकनगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. मन्जू पत्नी विनय गुगलिया, निवासी –आर–19 विजयसिंह पथिकनगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थियागण

बनाम

1. आसु पुत्र माधु जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
2. रामपाल पुत्र माधु जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
3. लेहरी बेवा नन्दा जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
4. रामपाल मुतबन्ना नन्दा जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
5. मियाचन्द पुत्र हजारी जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
6. मोती पुत्र हजारी जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
7. रतनलाल पुत्र पेमा जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
8. नारायण पुत्र पेमा जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
9. लादी पुत्री पेमा जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
10. रूकमा बेवा पेमा जाट निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
11. छोटूलाल पुत्र नाथुलाल माली निवासी संजय कोलोनी भीलवाडा हाल होटल शिवम पैलेस भीलवाडा बाईपास रोड मालोला तहसील व जिला भीलवाडा।
12. रामचन्द्र पुत्र जवाना जाट निवासी नारायणपुरा ग्राम पंचायत मालोला तहसील व जिला भीलवाडा।
13. देबी पुत्र नारायण जाट निवासी नारायणपुरा ग्राम पंचायत मालोला तहसील व जिला भीलवाडा।
14. रामेश्वर पुत्र नन्दा निवासी नारायणपुरा ग्राम पंचायत मालोला तहसील व जिला भीलवाडा।
15. देउ पुत्री जवाना जाट निवासी नारायणपुरा ग्राम पंचायत मालोला तहसील व जिला भीलवाडा।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 16.05.2017

प्रार्थियागण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू. –राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 08.05.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालोला, पटवार क्षेत्र मालोला, तहसील व जिला भीलवाडा के खतोनी नम्बर 207 में आराजी संख्या 224 रकबा 02–06 बीघा, आराजी संख्या 225 रकबा 02–12 बीघा, आराजी संख्या 227 रकबा 00–10 बीघा, कुल किता 03 कुल रकबा 05–08 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थियागण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थियागण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

... आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थियागण के अधिवक्ता उपस्थित, विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 10 उपस्थित व विपक्षीगण संख्या 11 से लगायत 15 तक उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। अधिवक्ता प्रार्थियागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थियागण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थियागण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगणन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मालोल
पटवार क्षेत्र मालोला, तहसील भीलवाडा के खतोनी नम्बर 207 में आराजी संख्या 224 रकबा 02–0
बीघा, आराजी संख्या 225 रकबा 02–12 बीघा, आराजी संख्या 227 रकबा 00–10 बीघा, कुल किता 0
कुल रकबा 05–08 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 1
दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति
करा देंवे। प्रार्थियागण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 600/– अक्षरे छः सौ रूपये बतौर खच
सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्क
को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढ
कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 16.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किय
गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा